

कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव

पत्रांक : 866 /अभि0वि0/2024-25/1130

दिनांक : 25-6-2024

ई-निविदा सूचना (Re-Tender)

पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं0 3859/अभि0वि0/2023-24/6165 दिनांक 09-02-2024 द्वारा ई-निविदा पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर शासनादेश सं0- 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20-09-2019 के अनुसार ठेकेदारों/फर्मों से 15वां वित्त आयोग बुनियादी अनुदान, राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड तथा सीवरेज एवं जल निकासी योजना की धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों (135 कार्य) हेतु तकनीकी एवं वित्तीय ई-निविदा प्रतिशत दर पर आमंत्रित की गयी थीं, उक्त ई-निविदाओं में 27 कार्यों की निविदायें तकनीकी बिड में क्वालीफाई न होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिस कारण उक्त 27 कार्यों की निविदायें निरस्त हो गयीं हैं। उक्त 27 कार्यों की पुनः ई-निविदा आमंत्रित (Re-Tender) की जाती हैं, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी पालिका की वेबसाइट <http://unnaonpp.in> एवं ई-टेण्डर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर भी देखी जा सकती है। निविदा की नियम/शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

(a)	Publish Date	26-06-2024
(b)	E-tender Downloading Date and Time	27-06-2024, 11:00 AM
(c)	Last Date and Time for Submission of E-bid	03-07-2024, 05:00 PM
(d)	Date and Time of opening technical bid.	04-07-2024, 02:PM
(e)	Date and Time of opening Financial bid.	After technical bid evaluation.
(f)	E-Tender Document Processing fees.	27-06-2024 to 03-07-2024

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

पृष्ठांकन:- पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :

- 1) जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2) अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर चस्पा हेतु।
- 4) सम्पादक दैनिक अमर उजाला व दैनिक राष्ट्रीय सहारा उन्नाव को सरकारी दरों पर कम से कम स्थान पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव

ई-निविदा सूचना (Re-Tender)

पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 3859/अभि0वि0/2023-24/6165 दिनांक 09-02-2024 ई-निविदा सूचना द्वारा आमंत्रित 15वां वित्त आयोग बुनियादी अनुदान, राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड तथा सीवरेज एवं जल निकासी योजना की धनराशि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर पालिका परिषद उन्नाव सीमान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण (सिविल) कार्यों हेतु शासनादेश सं०- 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20-09-2019 के अनुसार ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसमें कुल कार्यों की संख्या 135 थी, उक्त कार्यों की तकनीकी निविदा खोली गयीं जिसमें 27 कार्यों की निविदायें तकनीकी बिड में क्वालीफाई न होने के कारण अध्यक्ष महोदया द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिस कारण उक्त 27 कार्यों की निविदायें निरस्त हो गयीं, उक्त निरस्त कार्यों की पुनः ई-निविदा आमंत्रित (Re-Tender) की जाती है। निविदादाता एक या एक से अधिक कार्यों हेतु निविदा डाल सकता है, समस्त निविदायें प्रतिशत दर पर डाली जायेंगी। भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा, स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय पालिका अपने संसाधनों से करेगी। कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	कार्य सं०	कार्य का नाम	वार्ड सं०	आगणन कार्य धनांक (BOQ Amount)	टेण्डर फार्म की कीमत GST सहित	10% धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फर्म/ ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15वाँ वित्त आयोग बुनियादी अनुदान								
01	01	वार्ड सं० 7 मो० इन्द्रानगर में आलोक श्रीवास्तव पुत्र गौरी शंकर म०नं० 343/3 से अभय पटेल पुत्र श्रीपाल पटेल म०नं० 343/1 के घर तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	7	268067.00	348.00	26807.00	एक माह	A,B,C,D,E
02	02	वार्ड सं० 1 पूरन नगर में दयाराम बगिया मे बाल विद्या मन्दिर के पीछे सरवन सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह चौहान म०नं० 506/15 से सुनील कुमार के घर तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	1	494221.00	641.00	49422.00	एक माह	A,B,C,D,E
03	03	वार्ड सं० 27 मो० आवास विकास बी-ब्लाक में कब्रिस्तान के सामने गोपाल शर्मा पुत्र हरिप्रसाद शर्मा म०नं० 497 से अरुण कुमार शर्मा म०नं० 417 के घर तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	27	749438.00	973.00	74944.00	एक माह	A,B,C,D
04	04	वार्ड सं० 4 आवास विकास ए-ब्लाक में रस्तोगी इलेक्ट्रिक्स से प्रमोद मिश्रा म०नं० 302 के घर की तरफ नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	4	1132214.00	1470.00	113221.00	दो माह	A,B,C,D
05	05	वार्ड सं० 26 मो० किशोरी खेड़ा नई बस्ती में श्री कृष्ण पाल पुत्र पुत्तीला के मकान से कन्हैया पुत्र सुनील के मकान तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	26	706171.00	917.00	70617.00	एक माह	A,B,C,D
06	06	वार्ड सं० 14 खजुरियाबाग में अजय शुक्ला पुत्र महेश शंकर शुक्ला म०नं० 175/11 से कल्याणेश्वर मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	14	497595.00	646.00	49760.00	एक माह	A,B,C,D,E
07	07	वार्ड सं० 1 पूरन नगर दयाराम बगिया में अनुभव बाजपेयी पुत्र राम सहाय बाजपेयी म०नं० 506/11 से मेन रोड फौजी ट्रेडर्स तक नाली एवं खड़जा कार्य।	1	1252894.00	1626.00	125289.00	दो माह	A,B,C,D
08	08	वार्ड सं० 21 में ए०वी०एम० स्कूल गेट नं० 3 के सामने से राम सिंह पुत्र विशम्भर नाथ म०नं० 798/129 के घर से नीलकंठ महादेव मन्दिर (पुलिया तक) नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	21	1075923.00	1397.00	107592.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
09	09	वार्ड सं० 4 मो० राजेपुर में राजकुमार पटेल पुत्र भगवानदास पटेल के घर से राजकुमार पुत्र नारायण के घर तक	4	1436502.00	1865.00	143650.00	दो माह	A,B,C,D

		नाली एवं इण्टरलाक कार्य।						
10	10	वार्ड सं० 8 पीताम्बर नगर भाग-1 में प्रभा शंकर तिवारी पुत्र गजोधर प्रसाद तिवारी म०नं० 1070 के घर से शैलेन्द्र पाण्डेय पुत्र जगदीश नारायण पाण्डेय म०नं० 165 के घर से होते हुए शैलेन्दी पत्नी फूल चन्द के घर तक नाली इण्टरलाक निर्माण कार्य।	8	1073474.00	1393.00	107347.00	डेढ़ माह	
राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड.								
11	1	वार्ड सं० 3 में सुनील शर्मा पुत्र छोटेलाल म०नं० 772 से सरोज कुमार शुक्ला पुत्र उमा शंकर के घर होते हुए सुशीला देवी के घर की ओर नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3	822270.00	1067.00	82227.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
12	2	वार्ड सं० 5 में मालती वर्मा पत्नी चन्द्र प्रकाश वर्मा म०नं० 352/2 से भोला पुत्र भागीरथ म०नं० 368 से होते हुए प्यारे लाल पुत्र गुरुबक्श म०नं० 332 से शिवम पुत्र अनिल बाजपेयी म०नं० 313 तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5	829440.00	1077.00	82944.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
13	3	वार्ड सं० 20 में जावेद पुत्र नजीर म०नं० 775 से आरिफ सिददीकी पुत्र हाजी जहूर म०नं० 763 होते हुए तथा मो० वसीम पुत्र मो० नसीम के घर की तरफ आंशिक तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	20	861987.00	1119.00	86199.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
14	4	वार्ड सं० 21 में नीरज शुक्ला पुत्र कृष्ण मोहन शुक्ला म०नं० 826 से दीप शर्मा पुत्र राम शरण शर्मा म०नं० 845/1 तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	21	894919.00	1162.00	89492.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
15	5	वार्ड सं० 24 में अब्दुल कादिर पुत्र रियाजुददीन म०नं० 536 से वकील पुत्र फकीर मो० म०नं० 560 तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	24	830335.00	1078.00	83034.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
16	6	वार्ड सं० 13 में विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० चन्द्रनाथ सिंह म०नं० 324/1 से रमेश पुत्र छोटे लाल तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	13	1122172.00	1457.00	112217.00	दो माह	A,B,C,D
17	7	वार्ड सं० 8 में महेन्द्र पुत्र श्याम लाल म०नं० 237 से भुवनेश शुक्ला पुत्र दिनेश दत्त शुक्ला तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8	559381.00	726.00	55938.00	एक माह	A,B,C,D
18	8	वार्ड सं० 12 में देवीराम पुत्र लीलाराम म०नं० 1084/3 से अखिलेश मिश्रा के घर तक नाली एवं खड़जा सड़क निर्माण कार्य।	12	700703.00	910.00	70070.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
19	9	वार्ड सं० 22 में रामदेवी पत्नी प्रेम से सुमन सविता पत्नी स्व० कमलेश नारायण म०नं० 229/14 तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	22	957344.00	1243.00	95734.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
20	10	वार्ड सं० 23 में तारा बाजपेयी पत्नी स्व० गया प्रसाद बाजपेयी म०नं० 1158 से सुनील मिश्रा म०नं० 1130 से नाले तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण	23	1433847.00	1861.00	143385.00	दो माह	A,B,C,D

		कार्य।						
21	11	मो0 सिविल लाइन में रजिस्ट्री ऑफिस गेट से विकास भवन के गेट की तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	6	362171.00	470.00	36217.00	एक माह	A,B,C,D,E
22	12	वार्ड सं0 3 आदर्श नगर में मैचलेस स्कूल से चौहान साहब पुत्र अन्नू सिंह के घर की तरफ नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	3	698466.00	907.00	69847.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
23	13	वार्ड सं0 18 मो0 गदन खेड़ा में साक्षी महाराज कार्यालय से पानी प्लांट तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	18	766350.00	995.00	76635.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
24	14	वार्ड सं0 8 में अमर शहीद शशिकान्त तिवारी पार्क की बाउण्ड्रीवाल, गेट, सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8	635094.00	824.00	63509.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
25	15	वार्ड सं0 12 शिवनगर में ऋषि बाजपेयी पुत्र प्रदीप बाजपेयी म0नं0 832 से राकेश रावत के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	12	938049.00	1218.00	93805.00	डेढ़ माह	A,B,C,D
26	16	वार्ड सं0 17 श्याम बिहार कालोनी में अचल कुमार निगम म0नं0 816 के घर के सामने तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	17	1268669.00	1647.00	126867.00	दो माह	A,B,C,D
सीवरेज एवं जल निकासी योजना								
27	01	वार्ड सं0 15 में राजेश पाल से हांथी मन्दिर तक सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	15	2102972.00	2730.00	210297.00	दो माह	A,B,C,D

(a)	Publish Date	26-06-2024
(b)	E-tender Downloading Date and Time	27-06-2024, 11:00 AM
(c)	Last Date and Time for Submission of E-bid	03-07-2024, 05:00 PM
(d)	Date and Time of opening technical bid.	04-07-2024, 02:PM
(e)	Date and Time of opening Financial bid.	After technical bid evaluation.
(f)	E-Tender Document Processing fees.	27-06-2024 to 03-07-2024

निविदा की शर्तें

- निविदा की विस्तृत विवरण व शर्तें <http://etender.up.nic.in> पर एवं पालिका वेबसाइट <http://unnaonpp.in> एवं नगर पालिका परिषद उन्नाव में किसी भी कार्य दिवस में देखा एवं पढ़ा जा सकता है।
- प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अनुमन्य अवधि कॉलम नं0 (8) में दर्शायी गयी है।
- कॉलम नं0 7 में अंकित 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जो निविदा के साथ एस0ओ0पी0 के बिन्दु सं0 5.8 के अनुसार ई0पी0वी0जी0, एफ0डी0आर0, एन0एस0सी0/टेजरी चालान इत्यादि के माध्यम से जमा की जायेगी, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उन्नाव के नाम बंधक होगी। एक से अधिक निविदा डालने पर प्रत्येक कार्य के साथ प्रथक-प्रथक धरोहर धनराशि की मूल प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा, धरोहर धनराशि के रूप में लगायी गयी एफ0डी0आर0 आदि की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
- कॉलम नं0 6 में अंकित निविदा शुल्क नगर पालिका परिषद उन्नाव के खाता सं0 3355000101355913 पंजाब नैशनल बैंक हाकिम टोला (मुख्य शाखा) उन्नाव में चालान फार्म/आर0टी0जी0एस0/ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जायेगा। जिसकी प्रति निविदा के साथ अपलोड एवं संलग्न करना अनिवार्य होगा। चालान फार्म कार्यालय कार्य दिवस में पालिका से अथवा सम्बन्धित बैंक से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा स्वीकार करने की वैधता निविदा प्राप्त करने की तिथि से तीन माह (90 दिन) होगी।
- कार्य किसी भी अन्य ठेकेदार/पेटी कान्ट्रेक्टर को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, निविदा स्वीकृति के बाद यदि हस्तान्तरित की स्थिति पायी जाती है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदा डालने से पूर्व निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर ले। निविदा के बाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्रों में संलग्न **Bill of Quantity** में दर्शित कार्य की मात्रा घट बढ़ सकती है।
- शासनादेश संख्या- 1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30-06-2021 नगर विकास अनुभाग-9 (Standard Operating Procedure SOP) के बिन्दु सं0 5.5 के अनुसार किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

- 10- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 11- कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर अनुबन्ध लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक आर्थिक दण्ड लगाया जा जिस पर कटौती ठेकेदार के विल से की जायेगी।
- 12- यदि प्रथम पक्ष संलग्नक में दिए गए पदों को निर्धारित समय के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं करता है तो उस पर अनुबन्ध का 10 प्रतिशत तक अर्थ दंड लगाते हुए अनुबन्ध निरस्त कर, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा तथा 10 प्रतिशत जमा धनराशि भी जवाब कर ली जायेगी। यदि निर्धारित अर्थ दंड जमा नहीं किया जाता है तो उक्त दंड की धनराशि भू राजस्व भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- 13- अपूर्ण अथवा सही ढंग से न भरी गई निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।
- 14- ठेकेदार को अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल) के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। निर्माण कार्य का निरीक्षण अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी द्वारा अथवा अधिकृत सदस्यों द्वारा भी किया जा सकेगा। कार्य मानक के अनुसार न करने पर अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी के आदेशानुसार भुगतान बिल से कटौती की जायेगी तथा नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 15- यह कि सम्बन्धित कार्य की 10 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि शासनादेश सं0 1319/नौ-9-21-45ज/21 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 30 जून 2021 के साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्य पूर्ण होने के 12 माह के पश्चात अभियन्ता यह प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा की समस्त शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया है तथा कार्य संतोषजनक है, कार्य का उपभोग सही ढंग से किया जा रहा है। तत्पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 16- किसी विवाद की दशा में अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, उन्नाव का निर्णय अन्तिम होगा जो उभय पक्ष को मान्य होगा।
- 17- ठेकेदार के विल से शासन के निर्देशानुसार देय करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी जो ठेकेदार को मान्य होगा।
- 18- निर्माण कार्य का सैम्पुल परीक्षण कराने के पश्चात ही कार्य का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।
- 19- सम्बन्धित निर्माण कार्यों का भुगतान सम्बन्धित निधि/राज्य वित्त आयोग एवं पालिका निधि में उपलब्ध धनराशि से कार्यालय के नियमित वेतन, अधिष्ठान आदि के पूर्ण व्यय के बाद अवशेष धनराशि से अनुपातिक रूप से किया जायेगा।
- 20- स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकी जस्टीफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया बाधित करने हेतु डाली गई है। ऐसी निविदा मान्य नहीं होगी।
- 21- यह कि शासनादेश सं0- 622/23-12-23ऑडिट/03टीसी दिनांक 08-06-2012 लोक निर्माण अनुभाग-12 के अनुसार बिलो निविदा डालने पर उक्त शासनादेश के अनुसार अलग से परफार्मेंस गारन्टी जमा करना अनिवार्य होगा।
- 22- यह कि शासनादेश सं0- 3890/9-5-19-149सा/2019 दिनांक 20-09-2019 नगर विकास अनुभाग-5 के अनुसार स्थानीय निकायों में निर्माण एवं अन्य कार्यों के सम्बन्ध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने के लिये आवेदक निविदादाता का निकाय में पंजीयन आवश्यक नहीं होगा। निविदादाता की न्यूनतम निविदा प्राप्त/स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित नगर पालिका परिषद में नियमानुसार निर्धारित शुल्क एवं अभिलेख जमा कर पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा की दशा में स्वीकृत निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 23- शासनादेश संख्या 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26-02-2007 के अनुसार राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा।
- 24- कार्य की गुणवत्ता की जाँच के समय सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को कार्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो फर्म/ठेकेदार से की गयी कटौती आदि भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।
- 25- स्वीकृत निविदा से 10 प्रतिशत तक ही विचलन सामान्यतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृतोपरान्त स्वीकार किया जा सकता है।
- 26- निविदा के साथ जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी हैसियत प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी पंजीकरण, श्रम विभाग पंजीकरण आदि की स्वप्रमाणित प्रतियां व 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर स्व घोषणा पत्र इस आशय का कि निविदा के साथ संलग्न समस्त अभिलेख पूर्ण एवं सत्य हैं नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा।
- 27- सम्बन्धित निर्माण कार्यों का भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
- 28- स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त व्यय का भुगतान राज्य वित्त आयोग अथवा निकाय के अपने श्रोतों से धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
- 29- निविदा के साथ संलग्न 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि व बैंक चालान रसीद की मूल प्रति तथा शपथ पत्र हैसियत तथा चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां व आदि वांछित अभिलेख निविदा के साथ स्कैन करना एवं हार्ड कॉपी बंद लिफाफे में तकनीकी निविदा खुलने से पूर्व (कार्य दिवस में) कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव के निर्माण विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
- 30- यह कि कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रोजेक्ट डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें कार्यदायी संस्था, ठेकेदार/फर्म, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता का नाम मो0 नं0 सहित तथा कार्य के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा सम्बन्धित कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व, मध्य व पूर्ण होने के पश्चात लोकार्पण शिलापट सहित जियोटेग फोटोग्राफ कार्य समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 31- कार्य में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण किसी शासकीय संस्था से आवश्यकतानुसार कराना होगा तथा कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्री के रॉयल्टी प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 32- यह कि किसी भी शर्त में शिथिलता बरतने का अधिकार उचित कारणों सहित अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी में निहित होगा।
- 33- यह कि कार्य के दौरान सभी प्रकार के सुरक्षात्मक व्यवस्था सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को करवाना होगा यदि किसी प्रकार की सुरक्षा प्रबन्ध में कमी के कारण कोई दुर्घटना घटित होती है, जिसमें जन एवं आर्थिक क्षति होती है तो उक्त स्वीकृत कार्य कराने वाली फर्म/ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। उक्त में पालिका का कोई उत्तरदायित्व न होगा।

- 34- यह कि कार्य के दौरान किसी प्रकार का यातायात प्रभावित न हो।
- 35- यह कि यदि 15वाँ वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड व सीवरेज एवं जल निकासी योजना की उपभोग अवधि समाप्त हो जाती है तो शासन द्वारा पुनः समय वृद्धि प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
- 36- यह कि समस्त कार्यों को निविदा सूची में उल्लिखित स्थानों/स्थलों पर ही कराया जाये, यदि किसी कार्य के निर्धारित स्थल में परिवर्तन पाया जायेगा तो उक्त कार्य को श्रमदान घोषित किया जायेगा, जिसका भुगतान पालिका द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 37- सभी प्रकार के न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद उन्नाव का क्षेत्राधिकार होगा।
- 38- यदि किसी फर्म/ठेकेदार द्वारा बिना जमानत धनराशि व बिना निविदा शुल्क के निविदा डालता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में संस्था से प्रथक करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 39- यह कि शासनादेश सं०- 2228/33-3-2020-38/2020 दिनांक 30-09-2020 के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया में सामान्यतः 03 या उससे अधिक टेकनिकली क्वालीफाइड बिडर होने चाहिये, इससे कम होने पर सम्बन्धित निविदा को टेकनिकल क्वालीफाइड में अपात्र करते हुए वित्तीय निविदा के लिये अर्ह नहीं होगा।
- 40- उपरोक्त कार्य धनांक में जी०एस०टी० सम्मिलित नहीं है, जी०एस०टी० की धनराशि निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगी।
- 41- निविदा के साथ जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी हैसियत प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी०एस०टी पंजीकरण, श्रम विभाग पंजीकरण आदि की स्वप्रमाणित प्रतियां व 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर स्व घोषणा पत्र इस आशय का कि निविदा के साथ संलग्न समस्त अभिलेख पूर्ण एवं सत्य हैं नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा।
- 42- शासनादेश संख्या- 1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30-06-2021 नगर विकास अनुभाग-9 (Standard Operating Procedure SOP) के बिन्दु सं० 5.5 के अनुसार किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 43- सम्बन्धित निर्माण कार्यों का भुगतान सम्बन्धित निधि/राज्य वित्त आयोग एवं पालिका निधि में उपलब्ध धनराशि से कार्यालय के नियमित वेतन, अधिष्ठान आदि के पूर्ण व्यय के बाद अवशेष धनराशि से अनुपातिक रूप से किया जायेगा।

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

पत्रांक : 865 /अभि०वि०/2024-25/1129

दिनांक : 25-6-2024

प्रतिलिपि :

- 1) जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2) अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर चरपा हेतु।

अधिशायी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।